रेल स्प्रिंग फैक्ट्री में गैस रिसी, 5 झुलसे

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 5 फरवरी. ग्वालियर के सिथौली स्थित रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में गैस रिसाव से पांच कर्मचारियों की तबियत बिगड़ गई और वह मूर्छित हो गये. यह गैस रिसाव बायलर से हुआ और यह कर्मचारी वहीं काम कर रहे थे. गैस से बायलर क्षेत्र में आग भी भड़क गई.

आग को दमकल दस्ते की मदद से काबू में कर लिया गया. रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में गैस रिसाव की जानकारी लगते ही फैक्ट्री के अधिकारी व बचाव दल के सदस्य वहां पहुंचे और पहले गैस रिसाव रोकने की कार्रवाई कर तत्काल गैस से प्रभावित हुये पांचों कर्मचारियों को नजदीक के आईटीएम हास्पीटल में भर्ती कराया गया है. रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में बॉयलर गैस रिसाव में कौशल श्रीवास्तव, योगेश कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, शब्बीर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, हेमंत चैबे टेक-एमडब्ल्यू, अमर सिंह प्राइवेट एम्प्लॉई की तबियत झुलसने व गैस प्रभाव से प्रभावित हुई हैं.

सभी को अर्द्धमूर्छित अवस्था में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. जहां चिकित्सक उनके उपचार में लगे हैं. डीआरएम अनिरूद्ध कुमार ने बताया कि रेल स्प्रिंग फैक्ट्री में एन्युअल मेंटीनेंस के दौरान यह हादसा हुआ. घायल हुये चार कर्मचारी मेसर्स ताईकिशा कान्ट्रेक्टर कंपनी व एक रेलवे सेवा से जुड़े हुये है और सभी का आईटीएम हास्पीटल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर है. उन्होंने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिये गये हैं. वहीं पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जांच में दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. स्प्रिंग फैक्ट्री के अधिकारी बायलर स्थल पर निगाह बनाये हुये है. जिला प्रशासन के अधिकारी कारखाने में ही मौजूद हैं.

सिलेंडर फटा, 5 घायल

भिंड. मालनपुर के तिलोरी में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से पांच लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिन्हें परिचितों व परिजनों द्वारा द्वारा ग्वालियर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है.

अवैध कब्जे पर एफआईआर का आदेश

जबलपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीपी सूत्रकार की अदालत ने तीन दशक पुरानी रजिस्ट्री के मकान में अवैध कब्जे पर एफआईआर का आदेश पारित किया है। अदालत ने बरगी पुलिस को निर्देशित किया है कि तीन दिन में एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति अदालत में प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को नियत की गई है। आवेदक जबलपुर निवासी प्रकाश कुमार रिझवानी की ओर से अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह बघेल व लोकेश मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक की मां उमा देवी ने ग्राम तिनसीए बरगी की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। इसके बाद सीमांकन कराया। साथ ही चार कमरों का खपरैल वाला मकान बनाया.

ट्रेलर ने बाइक सवार दंपती को रौंदा

- दोनों की मौके पर मौत, नेशनल हाईवे जाम

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 5 फरवरी. जिले के बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ोखर गांव में आज दिन गुरूवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा बड़ोखर गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार कोयला लदे ट्रेलर वाहन ने बाइक को कुचल दिया.

मृतकों की पहचान बलिराम साकेत और उनकी पत्नी सुनीता साकेत के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार दोनों शाम करीब 5 बजे कसर की ओर से अपने घर बड़ोखर जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि दंपती की बेटे की शादी होने वाली थी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया. घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया. ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और मुआवजे व कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. सूचना मिलते ही बरगवां थाना निरीक्षक मो. समीर, मोरवा निरीक्षक कपूर त्रिपाठी तथा गोरबी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों द्वारा आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइस दी जा रही है और जाम खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने ट्रेलर वाहन को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.

महुआगांव में बाधित रास्ते पर चला बुलडोजर

हाईकोर्ट के निर्देश पर राजस्व विभाग ने की कार्रवाई

सरई, 5 फरवरी. स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ गांव में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलाया.

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के तहत की गई. जिस भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, वह शासकीय भूमि थी और वर्षों पहले सार्वजनिक रास्ता हुआ करता था, जिस पर बाद में मकान का निर्माण कर लिया गया था. प्रशासन द्वारा पूर्व में मुनादी एवं नोटिस देने के बाद आज सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटवाए गए. इस कार्रवाई में तहसीलदार सरई वित्त निवास अमित मिश्रा की अगुवाई में राजस्व निरीक्षक लालमणि सिंह, पटवारी अरुण शुक्ला, सतेंद्र साहू व अन्य मौजूद रहे. इधर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स के साथ टीआई सरई जितेंद्र भदौरिया उप निरीक्षक विनय शुक्ला एवं सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

ग्रामीणों और पुलिस टीम पर फायर करने वाले लुटेरे गिरफ्तार

रतलाम. दो वर्ष पूर्व पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते समय ग्रामीण पर फायर करने और पिछले वर्ष पुलिस टीम के ऊपर फायर करने वाले दो फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों से देसी कट्टा भी बरामद किया है. मुखबीर की सूचना पर दो वर्ष पूर्व भोजाखेडी मगरे स्थित पेट्रोल पंप पर लूट डकेती की योजना बनाते समय ग्रामीणजनों के पहुंचने पर उनके उपर फायर करने वाले व पिछले वर्ष ताजली रोड स्थित खेत पर पुलिस के उपर फायर करने वाले फरार आरोपी कालु उर्फ शम्भु निवासी झालावाड राजस्थान को पकड़ा.

फ्रांस की बेटी शार्लोट ओलानियां बनीं सिंगरौली की बहू

- होटल सिंगरौली पैलेस बना अंतरराष्ट्रीय शादी का साक्षी
- विदेशी मेहमानों में उत्साह, रिश्तों का अनोखा संगम

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 5 फरवरी. जिला मुख्यालय बैढ़न स्थित होटल सिंगरौली पैलेस इन दिनों एक ऐसी ऐतिहासिक और अनोखी शादी का गवाह बनने जा रहा है, जिसने प्रेम को सीमाओं से परे साबित कर दिया है.

सात समुंदर पार फ्रांस से आई युवती शार्लोट ओलानियां अपने पूरे परिवार के साथ सिंगरौली पहुंची हैं, जहां वह भारतीय संस्कृति, परंपरा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सिंगरौली के युवक संदीप कुमार सिंह के साथ आज दिन गुरूवार की शाम सात फेरे लेकर जीवनभर के बंधन में बंधेंगी. इस अंतरराष्ट्रीय विवाह को लेकर न केवल दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे जिले में इसे लेकर उत्सुकता और चर्चा का माहौल बना हुआ है. जानकारी के अनुसार फ्रांस के ओलां निवासी शार्लोट ओलानियां का विवाह बेल्जियम में कार्यरत एवं सिंगरौली के पंचखोरा रोड निवासी संदीप कुमार सिंह से हो रहा है.

संदीप कुमार सिंह के पिता स्व. रमेश कुमार सिंह हैं. विवाह समारोह बैढ़न स्थित प्रतिष्ठित होटल सिंगरौली पैलेस में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे रही है. विवाह की रस्में पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति से संपन्न हो रही हैं. बीते दिन बुधवार को हल्दी की रस्म हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्यों ने पारंपरिक गीत-संगीत के बीच दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाकर शुभकामनाएं दीं.

गुरुवार को मेहंदी की रस्म आयोजित की गई, जिसमें दुल्हन शार्लोट के हाथों में भारतीय पारंपरिक डिजाइनों की सुंदर मेहंदी रचाई गई. विदेशी मेहमानों ने भी भारतीय वेशभूषा पहनकर समारोह में हिस्सा लिया और भारतीय परंपराओं का आनंद लिया. रात में विधिवत मंत्रोच्चार और वैदिक विधि-विधान के साथ दोनों सात फेरे लेकर विवाह बंधन में बंधेंगे.

भारत की रीति रिवाज से प्रभावित थी ओलानियां-दुल्हन शार्लोट ओलानियां ने बताया कि वह बचपन से भारत की संस्कृति और परंपराओं के बारे में सुनती आई हैं और हमेशा भारतीय रीति-रिवाजों से प्रभावित रही हैं. उन्होंने बताया कि उनकी और संदीप की मुलाकात बेल्जियम में हुई थी, जहां दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ. करीब दो वर्षों तक एक-दूसरे को समझने और साथ समय बिताने के बाद दोनों ने विवाह का निर्णय लिया.

एक नजर में

अर्जित अवकाश व समयमान वेतनमान का लाभ दें

जबलपुर, 5 फरवरी. हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि याचिकाकर्ता को अर्जित अवकाश व समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी गई है. याचिकाकर्ता सतना निवासी सहायक शिक्षक रामजी पांडे की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी व सुमित्रा तिवारी ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि आठ मार्च 2019 के राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार 300 दिवस का अर्जित अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन संबंधित शिक्षक को मात्र 22 दिवस का अवकाश दिया गया. वहीं 14 जुलाई 2023 के शासन नियमों के अनुसार 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया गया.

प्लॉन्टेशन की निदाई की आड़ में दो बीटों में लाखों का खेला

सिंगरौली, 5 फरवरी. वन परिक्षेत्र बैढ़न के बीट बरहपान एवं उर्ती में प्लानटेंशनों के द्वितीय एवं तृतीय निदाई एवं साफ-सफाई में व्यापक खेला किये जाने का मामला सामने आ रहा है. यह गड़बड़ झाला कुछ दिनों पूर्व वन परिक्षेत्र अधिकारी के मिलीभगत से हुआ है. सूत्रों ने बताया एनसीएल से वन परिक्षेत्र बैढ़न के बीट उर्ती व बरहपान में आरडीएफ एवं एनपीएन के तहत प्लानटेंशन के द्वितीय एवं तृतीय की साफ-सफाई नहीं कराई और यदि कराई भी गई है तो महज खानपूर्ति तक सीमित है। सूत्र बता रहे हैं कि उर्ती बीट के आरएफ क्रमांक 415,417 में एनपीएन एवं 416 में आरडीएफ के तहत प्लानटेंशन के लिए राशि मिली थी. और इसका रख-रखाव भी किया जा रहा है। वहीं बीट बरहपान के आरएफ क्रमांक 396, 402, 403, 407 एवं 409 तथा 398 आरडीएफ के तहत प्लानटेंशन कार्य हुआ। परंतु आरोप है कि द्वितीय एवं तृतीय निदाई में हाल ही के दिनों में व्यापक तौर पर अनियमितता किये जाने का मामला सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले में रेंजर राजकुमार यादव अपना पक्ष देने से कतरा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं गड़बड़ झाला लगने के आरोप लग रहे हैं।

लो वोल्टेज की समस्याओं से मिलेगी राहत

पांढुरना, 5 फरवरी. जिले के प्रभारी तथा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा पांढुरना जिले को पहले 10 एमवीए पावर के ट्रांसफार्मर की सौगात दी है. इस उच्च क्षमता वाले एमवीए ट्रांसफार्मर को विभाग के अधिकारियों की निगरानी में जूनेवानी ग्राम के 33/11 के.व्ही.में सफलतापूर्वक चार्ज कर क्रियाशील किया गया. जिससे अब क्षेत्र के 14 ग्रामों के 3614 घरेलू एवं 1199 कृषकों को कम वोल्टेज एवं ओवरलोडिंग की समस्या से राहत मिलेंगी. गौरतलब हो कि बीते दिनों जिले के प्रभारी तथा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पांढुरना प्रवास पर आने के दौरान नगरीय सीमा से लगे ग्राम लेंढोरी,मरकवाडा कामठी कला,उमरी खुर्द,जुनेवानी आदि क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने मंत्रीजी से भेट कर इनके क्षेत्र में आए दिन होने वाले लो वोल्टेज के कारण यह किसान अपने खेतों में अंकुरित फसलों की सिंचाई तक नहीं कर पाते है,जिससे इन किसानों की फसलें खेतों सुख जाती है,इसी के चलते इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होने की बात कहीं इसी तरह पूरी रात में भी बिजली बंद रहने से इनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से उनका भविष्य भी अंधकारमय होने की बात बताई थी .

यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज ने निकाली दंडवत रैली

भिण्ड. फूप कस्बे में यूजीसी को काला कानून बताते हुए इसके विरोध में परशुराम सेना व सवर्ण समाज द्वारा भदाकुर तिराह से नगर परिषद कार्यालय तक एक किमी दण्डवत रैली निकाली गई. इस दौरान यूजीसी कानून को वापस लिए जाने की मांग की गई एवं राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया.

2 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन

जबलपुर, 5 फरवरी. नगर निगम द्वारा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के नेतृत्व में शहर भर में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य कराये जा रहे हैं. इन्हीं विकास कार्यो की श्रृंखला में गुरूवार को उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्डों में 2 करोड़ 25 लाख रूपये के विकास कार्यों का महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ,विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने कन्याओं से भूमिपूजन कराया. भूमिपूजन के बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ निर्माण कार्य शुरू कराया गया. इन वार्डों में क्रमशः महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, पं. भवानी प्रसाद तिवारी, एवं सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड शामिल हैं. इस लागत से चारों वार्ड में सुन्दर व्यवस्थित डामलीकृत सड़कों, नाला-नालियों के निर्माण कार्यो के साथ वायु गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे. इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि शहर के देवतुल्य नागरिकों की सेवा ही हमारा संकल्प है. इन्ही संकल्पों के तहत् शहर में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य लगातार कराये जा रहे हैं. जिसके कारण शहर तेजी से महानगर की ओर अग्रसर है. वहीं भूमिपूजन के मौके पर विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर में कराये जा रहे विकास कार्य जनोपयोगी एवं सराहनीय है.

एसीएस-डीजीपी से हलफनामे में मांगा जवाब

सागर जिले के पुलिस थानों के स्टिंग ऑपरेशन मामले में कोर्ट सख्त

जबलपुर, 5 फरवरी. मप्र हाईकोर्ट ने सागर जिले में पुलिस थानों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों द्वारा उजागर की गई अनियमितता के मामले में गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को हलफनामे पर कार्रवाई के संबंध में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

मामले पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मामले से जुड़े वीडियो व ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई, जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस आरसीएस बिसेन की युगलपीठ ने उक्त निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित की है।

दरअसल 30 नवंबर 2025 को स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर सागर के चार पुलिस थानों से अवैध रूप से शराब, ड्रग्स, स्पा सेंटरों मे देह व्यापार का संचालन को लेकर अखबारों में खबर प्रकाशित की गई थी। पत्रकारों ने पुलिस थाना गोपालगंज, मकरोनिया, मोती नगर एवं बहेरिया में किया गया स्टिंग किया था, जिनके आधार पर खबर प्रकाशित की गई थी। इस मामले में जबलपुर की एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि लोकतांत्रिक देश में जिन पर कानून की रक्षा करने का दायित्व है उन्हीं अधिकारियों द्वारा कानून को हाथ में लेकर अवैध कार्य किया जा रहा है। याचिका में मांग की गई कि इस मामले में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

जेयू के आर्यभट्ट छात्रावास में हुई मारपीट, केस रैगिंग कमेटी को सौंपा

ग्वालियर, 5 फरवरी. जीवाजी विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट छात्रावास में छात्रों के बीच मारपीट हो गई. इसमें एक छात्र को गंभीर चोटें आयी है. उसे उपचार के लिये अस्पताल जाना पड़ा है.

पीड़ित छात्र ने मारपीट करने वालों के छात्रों की पुलिस से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गयी है. बताया गया है कि बीकॉम-एलएलबी 10वें सेमेस्टर के छात्र सुधांशु अष्ठाना के साथ फार्मेसी के छात्र सौरभ गुर्जर, निखिल कुशवाह, गौरव जाट, सीरम तिवारी सहित अन्य छात्रों ने मारपीट की. सुधांशु के मुताबिक छात्रावास के बाहर विवाद के दौरान सभी ने मिलकर लात-घूंसे से उसकी जमकर पिटाई की गई जिससे उसे गंभीर चोटें आयी है. जानकारी मिलते ही प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने कुलगुरू को पूरे मामले से अवगत कराया. इसके बाद कुलगुरू ने फार्मेसी संस्थान से मारपीट में शामिल बताये गये छात्रों की पूरी जानकारी मांगी है. पीड़ित छात्र ने बताया है कि छात्रावास में इस तरह की घटनायें पहले भी होती रही है लेकिन सख्त कार्यवाही नहीं होने से ऐसे मामले नहीं रूक रहे.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेस-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश/माहिर प्लाजा 81, सामने। लोकेन्द्र टॉकीज, रतलाम (म.प्र.) 457001 को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के तहत गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFLHFL के अधिकृत अधिकारी ("AO") ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित खातों में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। IIFL-HFL के बकाया की वसूली के लिए इसे "जैसा है, जहां है, जैसा है और बिना किसी अधिकार के" आधार पर बेचने का अधिकार रखते हुए, यह बिक्री हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
वीरेंद्र जी सिंह ठाकुर श्रीमती कमला ठाकुर (प्रॉस्पेक्ट नं. 839885)	16/03/2021 रू. 621791/- (छह लाख इक्कीस हजार सात सौ इक्यानवे मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग, जो निम्न प्रकार से स्थित है: प्लॉट सं. A-139 श्री गीता विहार, ग्राम ताजखेड़ी, ब्लॉक देपालपुर, इंदौर, म.प्र., 453001 भूमि क्षेत्रफल 500.00 वर्ग फुट। भूमि मूल्य 900.00 वर्ग फुट। कालीन क्षेत्रफल 200.00 वर्ग फुट। निर्मित क्षेत्रफल 250.00 वर्ग फुट।	16/02/2023 09/01/2026 तक कुल बकाया रु. 1100043.24/- (ग्यारह लाख तिरतालीस और चौवीस पैसे मात्र)	रू. 480000/- (चार लाख अस्सी हजार मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी) रू. 48000/- (अड़तालीस हजार मात्र)
श्री मो जुबेर शेख शेख भाई श्रीमती शेनाज (प्रॉस्पेक्ट नं. 844193, 922309)	28/12/2020 रु.123192/- (एक लाख तेईस एक सौ बानवे मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (बीस हजार मात्र)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सलः संपत्ति के सभी भाग और पार्सल फ्लैट नंबर 406, सूर्यांश श्रीजी दीप परिसर, बी/8 श्रीजी वेल्ली बिचौली मर्दाना, इंदौर, इंदौर, 452016, मध्य प्रदेश, भारत (सुपर बिल्ड अप एरिया सराहनीय 563 वर्ग फुट)	21/09/2023 09/01/2026 तक कुल बकाया रु. 2482041.98/- (चौबीस लाख बयासी हजार इकतालीस और अट्ठानवे पैसे मात्र)	रू. 820000/- (आठ लाख बीस हजार मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी) रू. 82000/- (बयासी हजार मात्र)
श्री राजेश कुशवाह श्रीमती मीना (प्रॉस्पेक्ट नं. 879121)	06/10/2021, रू. 579711/- (पांच लाख उन्यासी हजार सात सौ ग्यारह मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा, जो निम्न प्रकार से निर्मित है: EWS फ्लैट सं. 214, दूसरी मंजिल पर, ब्लॉक बी1, अनमोल आवासीय कॉलोनी में स्थित, शुभंगन इंदौर बलियाखेड़ी के नाम से प्रसिद्ध, ओएमएक्सी हैप्पी होम फेस 2 और शुभ अंगारी विला, बलियाखेड़ा गांव में स्थित। तहसील और जिला इंदौर (म.प्र.),भारत। कालीन क्षेत्रफल 300.00 व.मी., निर्मित क्षेत्र. 340.00 व.मी.।	24/08/2022 09/01/2026 तक कुल बकाया रु. 906385.40/- (नौ लाख छह हजार तीन सौ पिच्यासी और चालीस पैसे मात्र)	रू. 381000/- (तीन लाख इक्यासी हजार मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी) रू. 38100/- (अड़तीस हजार एक सौ मात्र)
श्री संदीप साग्रे श्रीमती अलका यादव (प्रॉस्पेक्ट नं. 900425)	09/02/2021, रू.1122364/- (ग्यारह लाख बाईस हजार तीन सौ चौंसठ मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (बीस हजार मात्र)	फ्लैट संख्या 401, क्षेत्रफल 46.65 वर्ग मीटर, चौथी मंजिल, लाभ अपार्टमेंट, प्लॉट संख्या 8, श्री राम कमल रेसिडेंसी, ग्राम नैनोद, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत 453112	18/08/2022 09/01/2026 तक कुल बकाया रू. 1896148.38/- (अठारह लाख छयानवे हजार एक सौ अड़तालीस और अड़तीस पैसे मात्र)	रू. 615000.0/- (छह लाख पंद्रह हजार मात्र) बयाना राशि (ईएमडी) रू. 61500/- (ईकसठ हजार पॉच सौ मात्र)
पवन जी चौरसिया श्रीमती पूजा चौरसिया (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10050473, IL10113886)	29/07/2024 रू. 1071566/- (दस लाख इकत्तर हजार पांच सौ छियासठ मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (बीस हजार मात्र)	फ्लैट संख्या टी-306, तीसरी मंजिल, ब्लॉक-एस, सिल्क स्पेस सुपर सिटी, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452001 में स्थित संपत्ति का पूरा हिस्सा। (वर्ग फुट में) क्षेत्रफलः संपत्ति का प्रकारः कारपेट एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया 450.00, 541.22	23/06/2025 09/01/2026 तक कुल बकाया रू. 1418020.74/- (चौदह लाख अठारह हजार बीस और चौहत्तर पैसे मात्र)	रू. 1211000/- (बारह लाख ग्यारह हजार मात्र) बयाना जमा (ईएमडी) रू. 121100/- (एक लाख इक्कीस हजार एक सौ मात्र)
श्रीमती सूरजकला पाल श्री रानी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10112065)	04/12/2023 रू. 1532686/- (पंद्रह लाख बत्तीस हजार छह सौ छियासी मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग, जिसमें शामिल हैः सर्वेक्षण संख्या 108/11 से उत्पन्न भूमि का एक भूखंड 520 वर्ग फुट का भूभाग और 416 वर्ग फुट का कालीन क्षेत्रफल, ग्राम राजगढ़, रेल नगर के निकट, रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001, भारत	06/03/2025 09/01/2026 तक कुल बकाया रू. 1868269.90/- (अठारह लाख अड़सठ हजार दो सौ उनत्तर और नब्बे पैसे मात्र)	रू. 842000/- (आठ लाख बयालीस हजार मात्र) बयाना जमा (ईएमडी) रू. 84200/- (चौरासी हजार दो सौ सौ मात्र)
देवेन्द्र जी गुप्ता, बाबा बिल्डसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमान संध्या देवी गुप्ता (प्रॉस्पेक्ट नं. -756239)	14/04/2021, रू. 444402/- (चार लाख चवालीस हजार चार सौ दो मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25000/- (पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार हैः प्लॉट संख्या 1-बी का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 4150 वर्ग फुट है, फ्यूचर सिटी, पटवारी हल्का संख्या 34, सर्वे संख्या 285-1-5, 310-6-1, 310-62, 310-6-3, ग्राम रावड़ा, तहसील देपालपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453115	21/05/2022 09/01/2026 तक कुल बकाया राशिः 815076.79/- (आठ लाख पंद्रह हजार छिहत्तर और उन्यासी पैसे मात्र)	रू. 1594000/- (पंद्रह लाख चौरानवे हजार मात्र) बयाना जमा (ईएमडी) रू. 159400/- (एक लाख उनसठ हजार चार सौ मात्र)

महत्वपूर्ण जानकारीः यह नीलामी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्जे के आधार पर प्रकाशित की गई है। SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 14 का आदेश प्राप्त होने के बाद भौतिक कब्जा दिया जाएगा। बोली लगाने वाले को नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पहले दस्तावेजों और उनकी वैधता के संबंध में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
18 फरवरी 2026, 11:00 बजे से 14:00 बजे तक	20 फरवरी 2026, शाम 5 बजे तक।	23 फरवरी 2026, 11:00 बजे से 13:00 बजे तक।

भुगतान विधिः- अग्रिम राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
नोटः प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com पर लॉग इन करें >My Bid >Pay Balance Amount भुगतान करें

नियम एवं शर्तेः-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा प्रपत्र" अग्रिम जमा राशि के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा/भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी समाप्ति समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समाप्ति समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक IIFL HFL के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उपनियम (1) के तहत 15 दिन की बिक्री सूचना।

उधारकर्ता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निविदा/नीलामी की तिथि से पहले उपर्युक्त राशि, अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों सहित, का भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

स्थानः उज्जैन/इंदौर, दिनांकः 06 फरवरी 2026 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।**